राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड–19/2020/120 दिनांक 01.05.2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए जा रहे हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 40–3/2020–डीएम–एल(ए), दिनांक 29.04.2020 को अपने समेकित दिशा–निर्देशों में शामिल किया है, प्रवासी मजदूरों सहित, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों इत्यादि सहित रोके गए व्यक्तियों की आवाजाही के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, ऐसे रोके गए व्यक्तियों प्राप्त करने तथा भेजे जाने के लिए नोडल प्राधिकारियों को नामित किया गया है तथा मानक प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं।

और जबकि, इस उद्देश्यार्थ शीघ्र ही स्टेकहोल्डर्स के साथ उचित परामर्श करके प्रोटोकॉल विकसित किया जाएगा और प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

और जबकि, 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन उपाय पूर्ण रूप से लागू रहेंगे ताकि रूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों के गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने तथा अनावश्यक आवाजाही को रोका जा सके।

और जबकि, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त हुए हैं कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश को देखते हुए कुछ असामाजिक तत्व रोके गए लोगों से संपर्क कर सकते हैं तथा उन्हें भड़का सकते हैं, विशेषकर प्रवासी मजदूरों को इस अनैच्छिक उम्मीद से तनाव हो सकता है और वे हिंसा पर उतारु होने के अलावा लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन कर सकते हैं जिससे कोविड–19 के विरुद्ध लड़ाई में भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा आयुक्त, दिल्ली पुलिस और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवश्यक उपाय करने तथा हर संभव प्रयास किए जाने संबंधी निदेश जारी किए जाते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली के प्रत्येक हिस्से में ऐसी किसी गैर–कानूनी भीड़भाड़ होने से रोका जाए तथा व्यक्तियों को आवाजाही से रोका जाए :

क) जिन क्षेत्रों में प्रवासी मजदूर रह रहे हों, वहां पर्याप्त संख्या में पिकेट बनाई जाएं ताकि उनकी आवाजाही को रोका जा सके।

ख) अंतर्राज्यीय सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाए और अंतर्राज्यीय मालवाहनों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए, कि वे फंसे हुए मजदूरों को गैर कानूनी ढंग से ले जाने का कार्य न कर सकें।

ग) यदि कोई वाहन फंसे हुए मजदूरों को गैर कानूनी ढंग से ले जाने का कार्य करते पाया जाता है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए और ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

घ) यह सुनिश्चित किया जाए कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले अंतर्राज्यीय सीमाओं पर ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों की आवाजाही को रोका जाए।

ङ) समस्त फील्ड प्राधिकारियों अर्थात् एसएचओ, जिला पुलिस उपायुक्तों और संयुक्त निदेशक पुलिस (रेंज) के निदेश जारी किए जाने चाहिए ताकि इस आदेश के क्रियान्वयन को सही भावना से सुनिश्चित किया जा सके।

दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (इंटेलिजेंस) और विशेष आयुक्त (कानून व्यवस्था) दिल्ली के सभी हिस्सों और अंतर्राज्यीय सीमाओं प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों इत्यादि की आवाजाही के संबंध में जानकारी एकत्र करें और उसे समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा एसएचओ के साथ साझा करें, जो कार्रवाई लायक जानकारी के संबंध में कार्यवाहियों/उपायों पर ध्यान देंगे. साथ ही, समस्त फील्ड कार्यकर्ता आदेशों को लागू करने के लिए फील्ड में रहेंगे. बिना किसी विफलता के यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोविड–19 के प्रसार को सीमित करने तथा रोके जाने के लिए भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रोटोकॉल का सही भावना के साथ पालन किया जाए।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु :–

1. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
2. विशेष आयुक्त पुलिस (इंटेलिजेंस), दिल्ली।
3. विशेष आयुक्त पुलिस (कानून एवं व्यवस्था), दिल्ली।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष डीडीएमए, दिल्ली।
5. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।
6. समस्त एसएचओ (पुलिस आयुक्त, दिल्ली के माध्यम से), दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह– मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. निदेशक (डीआईपी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को व्यापक प्रचार के लिए।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।